**प्रेस नोट**

**दिनांक 10.09.2024, अपराध शाखा**

**जनपद गोण्डा।**

**थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

**कार्यवाहीः-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-141/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. गोरखनाथ सिंह पुत्र रामसिंह निवासी निवासी ग्राम किधौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से थाना तरबंगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी शाकिर अली पुत्र स्व0 अब्दुल कवि खाँ निवासी 129 एचआईजी विकास नगर लखनऊ द्वारा थाना कोतावली नगर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके उसकी जमीन को फर्जी बैनाम करा लिया है । तहरीर के आधार थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-141/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि बनाम गोरखनाथ सिंह आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री अति उल्ला अपराध शाखा गोण्डा द्वारा की जा रही थी।

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त गोरखनाथ सिंह पुत्र रामसिंह निवासी निवासी ग्राम किधौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. नामजद गोरखनाथ सिंह पुत्र रामसिंह निवासी निवासी ग्राम किधौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-141/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना को0 नगर गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 वीर बहादुर सिंह
02. उ0नि0 अजय कुमार सिंह
03. हे0का0 अजय सिंह
04. का0 पंकज यादव

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**

## दिनांक 10.09.2024, थाना कर्नलगंज
## जनपद गोण्डा।
## थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

**कार्यवाहीः-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त ताहिर पुत्र वसीर निवासी कमालपुर कर्नलगंज जनपद-गोण्डा को RPF ईट भट्टा छतौनी के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कर्नलगंज में मु0अ0स0-409/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 10.09.2024 को थाना कर्नलगंज के उ0नि0 अंकित सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि RPF ईट भट्टा छतौनी के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 700 ग्राम गाँजा) बरामद कर अभियुक्त सुताहिर पुत्र वसीर निवासी कमालपुर कर्नलगंज जनपद-गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कर्नलंगज में मु0अ0स0- 409/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्लनंगज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. ताहिर पुत्र वसीर निवासी कमालपुर कर्नलगंज जनपद-गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0स0- 409/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

1. 01 किलो 700 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 अंकित सिंह
02. हे0का0 राजेश यादव
03. का0 धनन्जय सिंह

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

## प्रेस नोट
## दिनांक 10.09.2024, थाना मोतींगज

**जनपद गोण्डा।**

## थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतींगज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-217/24, धारा 64, 351(2)(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संजय कुमार गौतम पुत्र नन्हकू प्रसाद निवासी ग्राम रेडवरिया वीरपुर थाना मोतीगंज जनपद गोंडा को धानेपुर रोड़ पर स्थित टींकू यादव की चाय के दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2024 को थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा दरा धमका कर गन्ने के खेत में ले जाकर दुराचार किया है। वादिनी की तहरीर पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 10.09.2024 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त संजय कुमार गौतम पुत्र नन्हकू प्रसाद निवासी ग्राम रेडवरिया वीरपुर थाना मोतीगंज जनपद गोंडा को धानेपुर रोड़ पर स्थित टींकू यादव की चाय के दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. संजय कुमार गौतम पुत्र नन्हकू प्रसाद निवासी ग्राम रेडवरिया वीरपुर थाना मोतीगंज जनपद गोंडा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-217/2024, धारा 64, 351(2)(3), बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. थानाध्यक्ष श्रीमती अनीता यादव
02. का0 गगनचन्द्र यादव
03. म0का0 हंसा यादव

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 10.09.2024, मानिटरिंग सेल**

## **जनपद गोण्डा।**

**‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 20,000/- अर्थदण्ड की सजा-**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी द्वारा दिनाकं 10.08.2018 को थाना को0देहात को सूचना दिया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी द्वारा जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0- 301/2018, धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 राकेश कुमार ओझा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 07.09.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

**दोषसिद्धि का विवरण-**

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना को0देहात पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या व थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 10.09.2024 को दोषी अभियुक्त – शिवकुमार वर्मा पुत्र स्व0 परशुराम वर्मा निवासी बेलवा नोहर खरगूचाँदपुर थाना को0देहात, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**अभियुक्त का नाम पता-**

01. शिवकुमार वर्मा पुत्र स्व0 परशुराम वर्मा निवासी बेलवा नोहर खरगूचाँदपुर थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

**अभियोग का विवरण-**

01. मु0अ0सं0- 301/2018, धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना को0देहात, जनपद गोण्डा.

**मीडिया सेल, गोण्डा।**